	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप पी ओ साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अतः 17/2/25	
दिनांक 17/2/25 बार एसोसिएशन किशनगढ़ द्वारा महेश कुमार मेघवाल के कार्य [illegible] अदालत पारित नहीं [illegible] हेतु सर्वसम्मति में आज कार्य रोका गया। अतः पत्रावली पूर्वआदेशानुसार 18/3/25 को पेश हो।	
18/3/2025 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 22/5/25 को पेश हो।	
22/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप पी ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 02/6/25 को पेश हो।	
C.NO. 263/2024 उनवान नेमीचन्द/धानी	
02/6/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी अनुपस्थित। वकील वादी व वादी को शाम 06:00 बजे तक [illegible] कर तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित है ना ही उनकी कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ है अतः वादी का वाद आदेश 09 नियम 03 CPC के तहत अक्ष खारिज अक्ष पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नस्ती कक्ष हो।	

उपखण्ड अधि.
किशनगढ़